

कार्यालय  
पत्रांक: न-3/सीएफओ(आ0म0मा0)-D-PO-15-2020  
सेवा में

मुख्य  
अग्नि  
शमन

अधिकारी  
देहरादून।  
दिनांक: जनवरी 21, 2020

Smt. Surender Kaur W/O Late Sh. Harbans Lal  
प्रोपर्टी नं0-1/207 (New) & Old 1/109)  
वार्ड नम्बर-1, नगर पालिका परिषद, विकासनगर  
जनपद-देहरादून।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिट नम्बर 17837411 दिनांक 16-01-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रोपर्टी नं0-1/207 (New) & Old 1/109) वार्ड नम्बर-1, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद देहरादून में निर्मित भवन हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत निर्मित भवन का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से करने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या दिनांकित 16.01.2020 इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रश्नगत भवन में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान किया गया है:-

1. प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुंच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 16 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 10 हजार लीटर क्षमता के टैरेस टैंक का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 02 अद्द हौजरील का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में मैनुवल कॉल प्वाइंट (एम0सी0पी0) एवं हूटर का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 08 अद्द ए0बी0सी0, 02 अद्द सी0ओ0टू0 अग्निशमक उचित स्थान पर स्थापित किये गये हैं।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0पी0 एवं इं0एल0सी0पी0 पर आधारित है।
10. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेंज ओवर लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
11. प्रश्नगत प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
12. प्रवन्धक/स्वामी को निकास मार्गों एवं सेंट बैंक को सदैव अवरोध मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
13. भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार प्रोपर्टी नं0-1/207 (New) & Old 1/109) वार्ड नम्बर-1, नगर पालिका परिषद, विकासनगर, जनपद देहरादून पर निर्मित भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशतें भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रवन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर पर बनाये रखने साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रवन्धक को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिये मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0-101, 01360-222261 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 तथा एम्बुलेंस का टेलीफोन नं0-108 अंकित करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र रवत: ही निरस्त समझा जायेगा।

(एन0 एस0 कुंवर)  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
देहरादून।